भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5114

उत्तर देने की तारीख : 02.04.2025

अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

5114. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए कार्यान्वित कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इन लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का अल्पसंख्यक युवाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सहयोग करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में युवाओं की इन योजनाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कौशल और शिक्षा योजनाओं को लागू कर रहा है ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके।

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जो पांच पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'नई रोशनी', 'उस्ताद' और 'हमारी धरोहर' को एकीकृत करती है और निम्नलिखित के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करती है:

i. कौशल और प्रशिक्षण (गैर-पारंपरिक और पारंपरिक)
ii. महिला नेतृत्व और उद्यमिता
iii. शिक्षा (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से)
iv. बुनियादी ढांचे का विकास (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से)

योजना में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा प्रस्तावित ऋण कार्यक्रमों के साथ लाभार्थियों को जोड़कर ऋण लिंकेज की सुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान है। इस योजना के तहत मंत्रालय को कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट करने और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) इस योजना के तहत कार्यान्वियन भागीदारों को उद्योगों के साथ अपने संपर्कों के माध्यम से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी है।

(घ) मंत्रालय इस योजना के तहत इच्छुक एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ सहयोग कर रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय हुनर हाट और लोक संवर्धन पर्व, प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि जैसी पहलों के माध्यम से अपनी योजनाओं के बारे में जागरूकता भी फैलाता है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाएगा।

*****